

राजस्थान सरकार अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—प.25(15)(1)पदसृजन / विविध / अभि / 23—02893(पार्ट—1) /

जयपुर, दिनांक:—

—:आदेश:—

निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.10.2025 राजकॉज नम्बर—18183414 द्वारा नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में नवसृजित जिलों में नवसृजित अभियोजन कार्यालय / शेष रहे अभियोजन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार किया जाता है:—

क्रम संख्या	संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय	नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालय	नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले अभियोजन कार्यालयों का नाम
1.	अजमेर	ब्यावर	अपर लोक अभियोजक, संख्या—1 ब्यावर
			वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर
			ए.सी.जे.एम.—जैतारण
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, बर
2.	भरतपुर	डीग	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना
			ए.सी.जे.एम.—लांडनू
			अपर लोक अभियोजक, डीग
			वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग
4.	जयपुर द्वितीय	कोटपूतली—बहरोड	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पहाडी
			वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
			वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरथल
			सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक

			मजिस्ट्रेट, खैरथल
5.	जोधपुर	फलौदी	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी
		बालोतरा	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा
6.	उदयपुर	सलूमबर	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूमबर

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. श्रीमान निजी, सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. श्रीमान निजी सचिव, शासन सचिव, गृह(विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
8. श्रीमान महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
9. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
10. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
11. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर.....(संबंधित)।
12. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश.....(संबंधित)।
13. श्रीमान पुलिस आयुक्त/उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर/संबंधित पुलिस अधीक्षक।
14. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन।
15. अभियोजन निदेशालय, समस्त शाखा।
16. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।